न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी सं. : 290/2023
जीसीएमएस नम्बर : 2024/364

प्रार्थीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र आईदान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नरपतसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत जालेली फौजदारा, पंचायत समित मण्डोर जिला जोधपुर

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक चौधरी प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री गिरधर सिंह भाटी अप्रार्थी अधिवक्ता

पंचायत निगरानी धारा 97 राज. पंचायत राज अधि 1994 सपठित आदेश 303 राज. पंचयात नियम 1996 पटटा संख्या 22 ग्राम पंचायत जालेली फौजदारा द्वारा दिनांक 25/06/2008 को जारी किया गया के विरूद्ध

– : : आदेश : : – दिनांक : 18/3/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा ग्राम जालेली फौजदारा के स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी की पैतृक भूमि जो वाके ग्राम जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई है जिस पर प्रार्थी वर्ष 1982 से अप्रार्थी संख्या एक से अलग रहता हुआ आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही पिता की संतान है किन्तु इनकी माता अलग अलग थी। अप्रार्थी संख्या 1 श्री आईदानसिंह की द्वितीय पत्नि की संतान है इस कारण उनके पिता से प्रार्थी को कभी भी प्रेम व स्नेह प्राप्त नही हुआ इस कारण प्रार्थी के दादा फतेहसिंह ने प्रार्थी की स्थिति को

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

देखते हुए अपनी जीवनकाल में ही अपनी सम्पति में से बंट व हिस्सा देकर उन्हे अलग कर दिया था तथा प्रार्थी को उसके दादा ने बंट में उक्त निगरानीधीन पटटे में वर्णित सम्पति दी थी, जिस पर प्रार्थी का बाड़ा बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी अपने पशुधन रखने, कृषि औजार रखने तथा पशु के लिये चारा व ईधन आदि रखने हेतु उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है तथा वर्तमान मे उक्त निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि पर प्रार्थी ही मालिकाना कब्जा हक हकूम चले आ रहे है। प्रार्थी जो कि सरकारी आबकारी विभाग में कार्यरत है तथा वर्तमान पाली में पदस्थापन है तथा पूर्व में भी उसे अपनी नौकरी हेतु बाहर रहना पड़ा जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत से मिली भगत करके बाले बाले उक्त निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि जो प्रार्थी के कब्जे में होते हुए भी उसका पट्टा अपने नाम से विधि विरूद्ध तरीके से जारी करवा लिया जिसको निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानी के आधार के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जालेली फोजदारा के सरपंच ने पूर्ण रूप से गलत नियमों के विपरित अपने स्वंय के स्वार्थ सिद्धि के लिये अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया था उस समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था तथा नाबालिग के नाम से पट्टा नियमानुसार जारी नही किया जा सकता है लेकिन ग्राम पंचायत ने आनन फानन में पूर्वर्ती तारीखों के बाद में पट्टा जारी किया गया इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत नांदडा कलां ने पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियमों का पालना नही की। ग्राम पंचायत नांदडा कलां ने पट्टा जारी करने से पूर्व पुराने कब्जे व वर्तमान कब्जे बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज जांच नही की गयी। केवल मात्र पुराना कब्जा है का उल्लेख करने से पुराना कब्जा नही माना जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 ने पुराना कब्जा बाबत पंचायत में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया। वास्तविक रूप से अप्रार्थी 1 का कभी भी कब्जा विवादग्रस्त जगह पर नही रहा और न ही आज दिन है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व अध्याय नौ पंचायत राज अधि. में वर्णित अन्य नियम जैसे 142 के अनुसार योजना बनाना नियम 145 के अनुसार आवेदन आमंत्रित करना, नियम 146 के अनुसार स्थल का निरीक्षण करना नियम 147 के अनुसार अंतिम विनिश्चय करना नियम 148 के अनुसार नोटिस जारी कर प्रकाशित करवाना, विक्रय पुष्टि करना व प्रकाशित करवाना, इस प्रकार की पूर्ण कार्यवाही नही की गयी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करके भारी गलती की है जो कमेटी बनायी गयी वो भी सरपंच के पक्ष की थी व न ही कमेटी ने किसी प्रकार का दस्तावेज रेकर्ड पर लिया मौका निरीक्षण की खानापूर्ति कार्यालय में बैठकर की गयी, इस कारण निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। उक्त निगरानी पट्टा में वर्णित भूमि जो प्रार्थी के कब्जे की है उस पर दिनांक 26/4/2014 को अप्रार्थी संख्या

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

1 के द्वारा निर्माण करवाने हेतु नीवे खुदवानी प्रारम्भ की तो प्रार्थी के प्रतिनिधि ने मौके पर जाकर कार्य रोकने कहा एवं कहा कि यह भूमि प्रार्थी की है तुम्हे इस पर निर्माण का कोई अधिकार नही है तब प्रार्थी को वास्तविक रूप से निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुई जानकारी की दिनांक से प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत में प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नांदडा कलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 25/6/2008 जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाये जावे का निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा एक स्थगन प्रार्थना पत्र एवं एक प्रार्थना पत्र अ.धा. 05 म्याद अधिनियम के तहत भी पृथक से पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया, मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल प्राप्त हुए।

अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में न तो मजबूत व ठोस आधार है और न ही उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है, इसलिये म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है क्योकि उक्त निगरानीधीन पटटासुदा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की कब्जाशुदा, पट्टासुदा भूमि है तथा दिनांक 26.04.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा निर्माण करवाने हेतु किसी प्रकार की न तो नीवे खुदाई है और न ही दिनांक को कोई निर्माण कार्य किया गया। पद संख्या 2 में लिखे तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। पद संख्या 3 में वर्णित देरी का कारण गलत व मिथ्या होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी पट्टे का प्रार्थी को शुरू से ही ज्ञान होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने की न तो कोई माकुल वजह जाहिर है न ही पर्याप्त कारण है। प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी 06–07 वर्षो के बाद प्रस्तुत की है जबकि दोनो भाई एक ही गांव, एक ही जगह निवास करते है। जवाब प्रार्थना पत्र में विशेष आपत्तियां के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा चला आ रहा है तथा अपने उपयोग व उपभोग में ले रहा है, इसलिये भी उक्त निगरानी खारिज योग्य है। प्रार्थी के पिता द्वारा अपने दोनो बेटों की उक्त पैतृक जायदाद भी अलग अलग बाट कर उस दोनो बेटों का मौके पर कब्जा भी करवा दिया उसके बाद भी प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 के हक व हिस्से की जायदाद में दखल अंदाजी करता है, हड़पना चाहता है। प्रार्थी सरकारी आबकारी विभाग में कार्यरत है तथा अपने पद का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 को हैरान व परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से जांच करने के बाद नियमों के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया, सन 1994 में उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उस समय अप्रार्थी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

संख्या 1 की लगभग 39 वर्ष आयु थी इस प्रकार प्रार्थी द्वारा निगरानी में लिखे आधार मिथ्या व सारहीन है। अंत में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या–8 जोधपुर महानगर से निर्णित दावा वास्ते एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिवानी मूल वाद संख्या 177/2014 निर्णय दिनांक 24.10.2017 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया गया क्योंकि वादी किसी भी साक्ष्य द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं का अधिकार प्रमाणित नही कर पाया।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित पट्टा ग्राम पंचायत नांदडा कलां, पंचायत समिति मण्डोर द्वारा मिसल संख्या 46/90–91 दिनांक 01.04.1991 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी किया गया । उक्त पट्टा विलेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया, उक्त नियम में अनुसार आपसी बातचीत के जरिये आबादी भूमि हस्तांतरण का प्रावधान दिया गया है। उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा नियम 266 में वर्णित प्रावधान पंचायत के समक्ष मौजूद हो, ऐसी मिसल अवलोकन से स्पष्ट नही है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा निलामी के जरिये जारी नही कर नियम 266 के तहत जारी किया गया, नियमानुसार उक्त पट्टे की मिसल में उल्लेखित किया जाना आवश्यक था और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में भी इसका इन्द्राज किया जाना आवश्यक था, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को फायदा पहुचाने की नियत से पट्टा जारी किया गया, इस आधार पर पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का संज्ञान में लाकर अपनी मौखित बहस पूर्ण की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मूल रिकॉर्ड का अध्ययन भी किया गया। उभय पक्षकारान की प्रस्तुत लिखित बहस एवं जवाब का मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने विवादग्रस्त पट्टा की भूमि पर अपना कब्जा साबित करने हेतु पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाया तथा न ही यह साबित कर पाया कि वक्त पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी नाबालिग था के कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 5 म्याद अधिनियम में भी प्रकरण के इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित संतोषजनक कारण नही बताया जबकि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 08, जोधपुर महानगर से संबंधित उभयपक्षकारान के मध्य भूमि वाद वर्ष 2017 में निर्णित किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अ.धा. 05 म्याद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत पंचायत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 18/3/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर